राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1844/2024

किशन लाल सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2024
आदेश की दिनांक : 24.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल एवं
श्री सुनील कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर में कार्य कर रहा था और सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर में पदस्थापित था। अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर अपीलार्थी दिनांक 30.06.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। सेवाभिलेख के अनुसार अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी सेवानिवृत्ति के समय एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका था और उसे एक

वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिये थी, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त लाभ से अपीलार्थी को वंचित रखा गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति के समय 01 जुलाई से 30 जून तक पूरा एक वर्ष अच्छा कार्य किया और 30 जून को सेवानिवृत्त हो गया और इस प्रकार वह एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया। इसी प्रकार के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अर्जुन लाल जाट व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12198/2023 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 में इस प्रकार उक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिया जाना अनुचित माना है। अतः अपीलार्थी भी उक्त नियमों एवं विधि के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जावे एवं समस्त सेवानिवृत्ति लाभ आदि पेंशन निर्धारण करते हुये समस्त भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर में कार्य कर रहा था और सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर में पदस्थापित था। अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर अपीलार्थी दिनांक 30.06.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। सेवाभिलेख के अनुसार अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी को सेवा पुस्तिका के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी दिनांक 30.06.2015 को अधिवार्षिकी आयु पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी दिनांक 30.06.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त

हुआ है और इस प्रकार अपीलार्थी सेवानिवृत्त होने से पूर्व 01 जुलाई से 30 जून तक एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है और सेवा नियमों के अनुसार विभाग द्वारा एक जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थी भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of* ***C.P. Mundinamani (supra)*** *and* ***All India Judges Association (supra),*** *it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitiled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.*
>
> *The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certitifed copy of this order."*

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को

निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उपर्युक्तानुसार अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)